

160

268

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

प०क्र०/आर.-दो/ /2014,



B-15

R-2560-1114

श्रीमती किरण देवी मिश्रा पत्नी श्री कृपाशंकर मिश्रा उम्री लगभग 35 वर्ष पेशा गृह कार्य नि०ग्राम सगरा खुर्द पत्रालय धाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

बनाम

- 1- श्रीमती बृजक्ली धर्म पत्नी श्री उमाशंकर ब्रा० उम्री लगभग 71 वर्ष ।
- 2- श्रीमती कमला तिवारी धर्म पत्नी श्री अमरनाथ तिवारी उम्री लगभग 41 वर्ष -दोनो का पेशा गृह कार्य एवं नि०ग्राम सगरा खुर्द पत्रालय धाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०
- 3- शासन म०प्र० - - - - - अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई०।

निगरानी बिरुद्ध निर्णय न्यायालयश्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा के निग०प०क्र०/

19/अ74/13-14 आदेश दिनांक 01-03-2014

पुकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

॥अ॥- यह कि आवेदिका जिसे अन्यत्र निगराकार के रूप में सम्बोधित किया जावेगा, के द्वारा ग्राम सगरा खुर्द तहसील हनुमना स्थित भूमि नं० 183/1क रकबा 0.683 आरें का अंश भाग 0.81 आरें जरिस पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27-11-2010 को मुत्. श्यामा शकुला पत्नी स्व. अर्जुन प्रसाद शकुला से क्य कर मुताविक विक्रय पत्र का बिज दखील चली आ रही है ।

॥ब॥- यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के ही अनावेदिका क्रमांक दो से अन्यथा प्रभावित होकर मौकेकी स्थिति के विपरीत आवेदिका की गैर जानकारी एवं बिना किसी सूचना के दिनांक

M किरण मिश्रा

24-7-14

उपरोक्त... 18-06-14

सिडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2355
रजिस्टर्ड कोर्ट आज
दिनांक को प्राप्त

कलेक्टर कोर्ट 25-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


राम सुशील शर्मा
अधिवक्ता
म.प्र. म.प्र. म.प्र. म.प्र. म.प्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2560-तीन / 2014

जिला-रीवा

श्रीमती किरणदेवी मिश्रा / श्रीमती बृजकली वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसुशील शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

आंक दो से अन्यथा
श की गैर जानकारी

